B-314
L-36
Polity

कैबिनेट सरकार / मंत्रिमण्डलीय सरकार के लाभ

- शासन का संचालन समूह के द्वारा किया जाता है शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में निहित नही होती इसलिए शासन ज्यादा लोकतांत्रिक होता है।
- मंत्रिमण्डलीय शासन ज्यादा उत्तरदायी भी कहलाता है क्योंकि लोकसभा के द्वारा मंत्रिमण्डल को कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।
- मंत्रिमण्डलीय शासन में विविधता पूर्ण समाज का बेहतर प्रतिनिधित्व भी संभव है क्योंकि मंत्रिमण्डल में प्रत्येक क्षेत्र, धर्म, लिंग, जाति का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है।
- लेकिन शासन का अस्थायित्व और दल बदल इसकी सबसे बड़ी समस्यायें हैं इसकी समाधान के लिए भारत में एक साथ चुनाव की पहल की जा रही है। वेंकट चलैया आयोग के द्वारा शासन में स्थायित्व लाने के लिए सकारात्मक अविश्वास प्रस्ताव के प्रयोग का भी सुझाव दिया गया था।

अमेरिका के अध्यक्षीय शासन की विशेषताएं :-

- अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा स्थायित्व

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और निर्वाचन भी निश्चित समय पर होता है

- अमेरिकी राष्ट्रपति को सत्ता में बने रहने के लिए प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नही होती क्योंकि राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और अन्तिमतः जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

- राष्ट्रपति अपने पसंदीदा विशेषज्ञों को मंत्रिमण्डल में शामिल कर सकता है जो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं और विधायिका के सदस्य नही होते इसलिए राष्ट्रपति त्वरित निर्णय लेने में समर्थ होता है।

- लेकिन अध्यक्षीय शासन में मंत्री विशेषज्ञ होते हैं और उन्हें मंत्रालयों में कार्य करने के लिए ज्यादा समय प्राप्त होता है क्योंकि वे विधायिका के सदस्य नही होते।

- सरकार की शक्तियों का एक ही व्यक्ति के हाथ में केन्द्रीकरण अलोकतांत्रिक माना जाता है और अमेरिका में मंत्रिमण्डल सामान्यतः सर्वसमावेशी नही होता।

निष्कर्ष :- भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन को केवल उत्तरदायित्व के कारण ही स्वीकार नही किया अपितु संसदीय शासन में कार्यपालिका और विधायिका के बीच टकराव की संभावनाएं कम होती है

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES

जो भारत के नए लोकतंत्र के लिए एक बेहतर विकल्प है।

फ्रांस का अर्ध-अध्यक्षात्मक

संसदीय शासन

(i) मंत्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी होगी।

(ii) संसद प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है।

अध्यक्षीय शासन

(i) कार्यपालिकी शक्ति का केन्द्र राष्ट्रपति होता है।

(ii) राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल के बैठक की अध्यक्षता करता है।

(iii) राष्ट्रपति सीधे आमजनता द्वारा निर्वाचित होता है तथा कार्यकाल निश्चित होता है।

- फ्रांस में स्थायित्व और उत्तरदायित्व के बीच एक बेहतरीन समन्वय स्थापित किया गया है

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

भारत का राष्ट्रपति

- निर्वाचित होता है
  ↓
  अप्रत्यक्ष
  ↓
  निर्वाचक मण्डल
  ↓
  (A) निर्वाचित लोकसभा + राज्यसभा
  (B) विधानसभा + दिल्ली, पुदुचेरी

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली

संसदीय अधिनियम
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम

अर्हता
↓
- भारत का नागरिक
- लाभ के पद पर न हो,
- उम्र - 35 वर्ष या उससे अधिक
- लोक सभा सदस्य होने की योग्यता

पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य

महाभियोग
- संविधान का उल्लंघन
- दोनो सदनों में पृथक-पृथक 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।

- **राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन :-**

- संविधान में पदाधिकारियों के जिस प्रकार के कार्य हैं उसी प्रकार का शपथग्रहण और निर्वाचन का तरीका है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- राष्ट्रपति संविधान की रक्षा की शपथ लेता है
- राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान है जिसके नाम से सारे कार्य सम्पादित होते हैं।
वह अलंकारिक प्रधान है
- इसीलिए उसका निर्वाचन आम जनता द्वारा नही होता।
- प्रधानमंत्री प्रशासनिक प्रधान होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित है और यदि राष्ट्रपति भी जनता द्वारा निर्वाचित होता तो इससे समय और पैसे की बरबादी होती और प्रधानमंत्री के साथ टकराव भी होता।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Trusted Learning Platform
KHAN SIR

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली :-

- राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सामान्यतः राज्यसभा में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।
जैसे - उत्तर प्रदेश - (31) बिहार - (16)
- राष्ट्रपति का पद केवल एक होता है और एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग बेहद अतार्किक दिखाई देता है ऐसा आलोचकों का मत है
- लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक शब्द राज्यसभा के निर्वाचन से पृथक है क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक का निम्नलिखित अभिप्राय है-

(a) विभिन्न राज्य विधानसभाओं के विधायकों के मत मूल्य के बीच अनुपात स्थापित करना।

(b) विधानसभा के सभी विधायकों और कुल सांसदों के मत मूल्य के बीच अनुपात।

राज्य सभा

विधानसभा →
- कांग्रेस - सीट - 50 अनुपात - 5
- बीजेपी - सीट - 30 - अनुपात - 3
- सपा - सीट - 20 - अनुपात - 2

राष्ट्रपति

(i) सांसद :

(ii) 4892 – विधायक –

400 (UP)

(UT) 70

4892
− 776 – सांसद
4116 – विधायक

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- एक विधायक के मत मूल्य की गणना के लिए अनुच्छेद 55 में निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग किया गया है–

$$1 \text{ विधायक} = \frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या (1971)}}{\text{निर्वाचित विधायकों की संख्या}} \times \frac{1}{1000}$$

- एक सांसद के मत मूल्य की गणना के लिए:-

1 सांसद = निर्वाचित विधायकों का कुल मतमूल्य / निर्वाचित सांसदों की संख्या

→ 776 सांसद - 5 लाख लगभग
→ 4116 विधायक - 5 लाख लगभग

• यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रणाली का प्रयोग न होता तो बड़े राज्यों का अतमूल्यन हो जाता तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों की भी उपेक्षा हो जाती।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ :-

• संसदीय शासन में मंत्रिमण्डल शासन और सत्ता के केन्द्र में होता है जिसके द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। संसद में विधेयकों का प्रस्ताव किया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है तथा क्षमादान का प्रयोग किया जाता है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR